

नगर निगम, इलाहाबाद।

भवन स्वामियों हेतु सार्वजनिक सूचना

मा0 महापौर, मा0 सदन एवं कार्यकारिणी समिति के संकल्प संख्या-3,4 व 5 दिनांक 14-09-2012 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामीगण निम्न प्रारूप पर अपने-अपने भवन के संबंध में वांछित सूचना अपने-अपने जोनल कार्यालय में आगामी 10 दिन के अन्दर प्राप्त करा दें जिससे प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि कराते हुए भवन की आयु को दृष्टिगत रखते हुए वांछित छूट प्रदान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सकें। उक्त प्रारूप नगर निगम की वेबसाइट www.allahabadmc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

निर्धारित प्रारूप

- 1-भवन स्वामी / स्वामिनी / अध्यासी का नाम.....
 - 2-पिता / पति का नाम.....
 - 3-भवन संख्या-.....वार्ड सं0.....मोहल्ला.....कम्प्यूटर कोड..
 -
 - 4-भवन का प्रथम बार कर निर्धारण / भवन संख्या आवंटन का वर्ष-.....
- नोट:-साक्ष्य के रूप में निगम द्वारा निर्गत कर निर्धारण नोटिस अथवा प्रथम बार जमा गृहकर की रसीद संलग्न करें।

भवन की प्राचीनता (सम्बन्धित को टिक करें)

मूल भवन (क) 10 वर्ष के अन्दर (ख) 10-20 वर्ष (ग) 20 वर्ष से अधिक

अतिरिक्त निर्माण (क) 10 वर्ष के अन्दर (ख) 10-20 वर्ष (ग) 20 वर्ष से अधिक

किरायेदारी का विवरण

कारपेट एरिया (कमरों में) जिसमें किरायेदार निवासित है.....वर्गफिट में

कारपेट एरिया जिसका अनावासीय(दुकान आदि) संचालित है.....वर्गफिट में

5- भवन में तलों की संख्या एवं उनके निर्माण का वर्ष.....

6- भवन में अतिरिक्त निर्माण का विवरण एवं उनके निर्माण का वर्ष.....

7- क्या भवन 30 वर्गमीटर के भूखण्ड पर मात्र 15 वर्गमीटर के कारपेट एरिया में निर्मित हैं-हां () यदि नहीं तो भवन में तलों की कुल संख्या एवं कारपेट एरिया का विवरण..

प्रभारी अधिकारी कर
नगर निगम, इलाहाबाद।

नगर आयुक्त
नगर निगम, इलाहाबाद।